न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्यचार निवारण) अधिनियम, शामली।

सत्र परीक्षण सं०-04/2018

सरकार बनाम नरोत्तम आदि।

मु०अ०सं०-119/2018

अंतर्गत धारा-323/34, 504/34 भा०दं०सं० एवं

धारा-3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट।

थाना-थानाभवन, जिला शामली।

बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०

नाम- **नरोत्तम** उम्र-**64 वर्ष,** पिता का नाम-**जमादार सिंह**

निवासी-**ग्राम हरड़ फतेहपुर** पेशा-**प्रधानाचार्य पब्लिक इन्टर कालेज (शिक्षण)**

थाना-**थानाभवन** जनपद- **शामली**

प्रश्न -1 अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 08.04.2018, समय 08.30 बजे रात व बहद स्थान ग्राम हरड़ फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली में आप अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित किया व लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुफ्ता दिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- गलत है एवं झूठा है।

प्रश्न -2 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूराम (वादी मुकदमा) ने यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 30.03.2018 को समय रात के 08.30 बजे की है। मेरे भाई मुकेश की फूड सप्लिमेन्ट की दुकान थी। तो मेरे भाई से मुल्जिमान नरोत्तम व उसका लडका अभय समान खरीदते थे। नरोत्तम व अभय के पास मेरे भाई मुकेश के 19200/- रूपये बकाया थे। जिसमें उन्होने पांच हजार रूपये जमा करा दिये थे और 14200/- रूपये बकाया रह गये थे। जिसमें मुल्जिमानो ने पांच दिनों में वापस करने का वादा किया था लेकिन इन लोगों ने कोई पैसा वापस नहीं किया। तो मेरा भाई मुकेश दिनांक 08.04.2018 को किसी काम से सहारनपुर गया था, सहारनपुर से लौटते हुए मेरे भाई को मुल्जिमानो ने कॉल किया था कि आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। तो मेरा भाई मुकेश रात के 8.30 बजे पैसा लेने के लिये हरड फतेहपुर पहुंचा तो नरोत्तम व अभय ने मेरे भाई मुकेश के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। मेरा भाई वहां पर अकेला था मेरे भाई ने बताया कि उन लोगों ने नरोत्तम, अभय व अन्य तीन चार साथियों को घटना स्थल पर बुला रखा था तो मुकेश के साथ इन लोगो ने धारदार हथियारो से मारपीट की जिससे मेरे भाई के सर में गम्भीर चोट आयी थी। जब हम अपने भाई के पास पहुंचे थे तब मेरा हमने देखा था कि मेरा भाई मुकेश खून से लथ पथ था। पहले मेरा भाई बेहोश हो गया था, जब मेरे भाई को होश आया तो उसने मुझे फोन किया मैं फोन सुनकर अपने भाईयो सुनील व कल्लू के साथ अपने भाई मुकेश के पास घटना स्थल पर पहुंचे, तो हमने देखा कि मेरा भाई खून से पूरी तरह लथपथ था। हम उसे लेकर सरकारी अस्पताल, शामली आ गये थे। मुकेश को हास्पिटल में पहुंचाकर हम थाने पहुंचे, थाने में

मैंने एक तहरीर बोल बोलकर थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवायी थी जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है, तहरीर हमने थाना थानाभवन में जाकर दी थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मै शिनाख्त करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के संबंध में मैने पुलिस को बयान दिये थे। घटना के बाद मुकेश काफी दिन तक स्वस्थ्य नहीं हो पाया था। वह कहीं एडमिट नही हुआ था उसका इलाज घर पर ही चल रहा था। तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना के संबंध में जो बाते लिखी गयी है वो मेरे बताये अनुसार ही तहरीर लेखक ने लिखी हैं। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न –3 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 डॉ० रामनिवास ने यह बयान दिया है कि मैं दिनांक 08-04-2018 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र शामली पर बतौर अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात था । मैने उस दिन मुकेश उम्र लगभग 35 साल पुत्र रामगोपाल निवासी गली नं० 2 दयानंद नगर शामली का मेडिकल परिक्षण रात्रि 10 बजकर 15 मिनट पर किया था। जिसको एच०जी० 1541 चन्दरपाल थाना कोतवाली शामली द्वारा लाया गया था। चुटैल के चैहरे पर दाई तरफ एक काला तिल था जो कि दाई आख से 1.5 cm नीचे था। चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गई थी- **1.** फटा हुआ जख्म जिसका आकार 2cm x 0.4 cm जो कि सिर के बाई तरफ था। ओर बाये कान से 11cm उपर था। जिसकी गहराई scalp तक थी। **2.** Multiple खरोच के साथ नीलगू के निशान जिसका क्षेत्रफल 24cm x 19cm जो कि पूरे सिर पर था और सबसे बड़े नीलगू का आकार 3cm x3cm था और सबसे छोटे नीलगू का आकार 1cm x1cm जो की संख्या में पांच थे। **3.** फटा हुआ जख्म जिसका आकार 0.8cm x 0.4cm जो कि मुख गोहा में बाई तरफ था। जो कि मांस तक गहरा था। **4.** खरोच का निशान जिसका आकार 1cm x 1 cm जो कि दाये कान के पीछे की तरफ था। **5.** चोट के साथ सूजन जिसका आकार 4cm x3cm जो कि चहरे के बाई तरफ तथा दाये कान से 2cm नीचे था। **6.** लाल नीलगू जिसका आकार 4cm x 4cm जोकि कमर पर नीचे तथा बाई तरफ था और बाये ढुंगे की हड्डी से 6 cm उपर था। **7.** खरोच का निशान जिसका आकार 0.5cm x0.5cm जोकि दाई भुजा के बाहरी तरफ था तथा दाये कंधे से 12cm नीचे था। मेरी राय में सारी चोटें ताजा थी तथा साधारण प्रकृति की थी । जोकि सख्त कुंदाले से आना संभव थी। यह मेडिकल मेरे हस्तलेख में है। इसपर मेरे हस्ताक्षर अंकित है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं, इस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है एवं झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है।

प्रश्न –4 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 रिटायर्ड एस०आई० श्रीमती सुनीता शर्मा ने यह बयान दिया है कि दिनांक 09.04.2018 को मै थाना थानाभवन पर बतौर हेड कांस्टेबल नियुक्त थी। उसी दिन समय 3.30 बजे दिन वादी बाबूराम पुत्र रामगोपाल निवासी दयानन्द नगर गली नम्बर 12 थाना कोतवाली शामली थाना हाजा पर आये एक किता तहरीर हस्तलिखित वादी द्वारा थाना हाजा पर दी गयी। जिसका खुलासा जीडी सं0 32 समय 15.52 बजे पर किया गया। जिस पर मु0 अ 0 सं0 119/2018 धारा 147, 148, 149, 323, 504 आई पी सी कायम किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 4 क/3 जीडी की सत्यापित फोटो प्रति को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही जीडी है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप करवायी थी जिसकी मै शिनाख्त करती हू जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया है। पत्रावली पर संलग्न एफ आई आर मेरे

द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर टाइप करवायी गयी थी जिसकी मै शिनाख्त करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न –5 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 रिटायर्ड सी०ओ० अरविन्द सिंह राठौर ने यह बयान दिया है कि मेरे द्वारा विवेचना दिनांक 15.07.2018 को ग्रहण की गयी थी। उससे पूर्व विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार थाना भवन द्वारा की जा रही थी। दिनांक 15.07.2018 को सीडी नम्बर 09 किता की गयी जिसमें मुकदमें के पूर्व के पर्चों का अवलोकन किया गया जो पूर्व विवेचक श्री सुनील कुमार द्वारा किता किये गये थे। जिसमें उनके द्वारा की गयी विवेचना में मुकेश कुमार पुत्र रामगोपाल गली नम्बर 12 का बयान अंकित किया गया था जिसमें गवाह ने घटना का समर्थन किया था। पूर्व विवेचक द्वारा सीडी 01 से 08 तक किता की गयी है। सीडी अवलोकन से प्रथम पर्च में नकल चिक नकल रपट बयान लेखक आफ आई आर बयान वादी आदि लेखबद्ध किये गये है तथा सीडी 2 में मजरूब मुकेश के बयान अंकित है जिसने घटना का समर्थन किया है और घटना स्थल का निरीक्षक मजरूब की निशानदेही पर किया गया है। जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही नक्शा नजरी है जो पूर्व विवेचक द्वारा बनाया था जो उनके हस्तलेख में है उनके हस्तलेख को मै पहचानता हू क्योंकि मैने उन्ह थाने पर लिखते पढते देखा है नक्शा नजरी पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। सीडी 3 में अभियुक्त नरोत्तम के बयान अंकित किये गये है। सीडी 4 में लोगो ने झगडा होने की बात को तसदीक किया गया है। सीडी 5 में भी झगडा होने की बात प्रकाश में आयी है। सीडी 6 मजरूब मुकेश की चोटो का डाक्टर द्वारा तैयार करने की रिपोर्ट की पुष्टि की गयी है। सीडी 7 अभियुक्तगण नरोत्तम व अभय को 41 ए का नोटिस देने के बाबत है। सीडी 8 मजरूब पक्ष द्वारा जाति प्रमाण पत्र थाने पर दाखिल करने के बाबत है। जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने के कारण उक्त मुकदमं की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से होने के कारण विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी। दिनांक 15.07.2018 को सीडी 9 मेरे द्वारा किता की गयी जिसमें पूर्व पर्यो का अवलोकन उपरोक्त किया गया। दिनांक 17.07.2018 को सीडी 10 किता की गयी जिसमें बयान पूर्व विवेचक बयान वादी बयान मजरूब आदि किये गये तथा रिपोर्ट आर्थिक सहायता दिये जाने के बाबत है। दिनांक 25.07.2018 को सीडी 11 किता की गयी जिसमें गवाहन तथा स्वतंत्र साक्षियो से बातचीत की गयी तथा अगले 27.07.2018 को सीडी 12 किता की गयी जिसमें विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 3 क/1 ता 3 क/3 को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित करवाने के उपरान्त माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था जिसकी मै शिनाख्त करता हू जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न–6 यह कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– प्रपत्र गलत बनाये गये हैं।

प्रश्न–7 आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला?

उत्तर– रंजिशन

प्रश्न–8 क्या आपको बचाव में कोई सफाई साक्ष्य देना है?

उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न–9 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर– दिखाई गई घटना के दिनांक को मैं जानकीदास जनता इन्टर कालेज कैड़ी में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात था, अब मैं वहाँ से रिटायरमेन्ट के बाद दि हिन्द गुरू इन्टर नेशनल स्कूल गढ़ीपुख्ता में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूं एवं अब मैं 64 वर्ष की उम्र का सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे द्वारा ऐसा एक्ट करना तो दूर सोचना भी असम्भव है।

प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० मेरे श्रवणगोचरता में अभियुक्त के बोलने पर आशुलिपिक द्वारा टंकित किया गया है।

दिनाँकः03.08.2026 **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली

नोटः– उक्त बयान मेरी उपस्थिति एवं श्रवणगोचरता में तैयार किया गया, जिसमें पूर्ण एंव सही वृतान्त अंकित है।

दिनाँकः03.08.2026

बयान सुनकर तस्दीक किया **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्यचार निवारण) अधिनियम, शामली।

सत्र परीक्षण सं०–04/2018

सरकार बनाम नरोत्तम आदि।

मु०अ०सं०–119/2018

अंतर्गत धारा–323/34, 504/34 भा०दं०सं० एवं

धारा–3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट।

थाना–थानाभवन, जिला शामली।

बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०

नाम– **अभय प्रताप सिंह** उम्र–**32 वर्ष,** पिता का नाम–**नरोत्तम**

निवासी–**ग्राम हरड़ फतेहपुर** पेशा–**प्राइवेट नौकरी**

थाना–**थानाभवन** जनपद– **शामली**

प्रश्न –1 अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 08.04.2018, समय 08.30 बजे रात व बहद स्थान ग्राम हरड़ फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली में आप अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित किया व लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुफ्ता दिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है एवं झूठा है।

प्रश्न –2 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूराम (वादी मुकदमा) ने यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 30.03.2018 को समय रात के 08.30 बजे की है। मेरे भाई मुकेश की फूड सप्लिमेन्ट की दुकान थी। तो मेरे भाई से मुल्जिमान नरोत्तम व उसका लडका अभय समान खरीदते थे। नरोत्तम व अभय के पास मेरे भाई मुकेश के 19200/– रूपये बकाया थे। जिसमें उन्होने पांच हजार रूपये जमा करा दिये थे और 14200/– रूपये बकाया रह गये थे। जिसमें मुल्जिमानो ने पांच दिनों में वापस करने का वादा किया था लेकिन इन लोगों ने कोई पैसा वापस नहीं किया। तो मेरा भाई मुकेश दिनांक 08.04.2018 को किसी काम से सहारनपुर गया था, सहारनपुर से लौटते हुए मेरे भाई को मुल्जिमानो ने कॉल किया था कि आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। तो मेरा भाई मुकेश रात के 8.30 बजे पैसा लेने के लिये हरड फतेहपुर पहुंचा तो नरोत्तम व अभय ने मेरे भाई मुकेश के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। मेरा भाई वहां पर अकेला था मेरे भाई ने बताया कि उन लोगों ने नरोत्तम, अभय व अन्य तीन चार साथियों को घटना स्थल पर बुला रखा था तो मुकेश के साथ इन लोगो ने धारदार हथियारो से मारपीट की जिससे मेरे भाई के सर में गम्भीर चोट आयी थी। जब हम अपने भाई के पास पहुंचे थे तब मेरा हमने देखा था कि मेरा भाई मुकेश खून से लथ पथ था। पहले मेरा भाई बेहोश हो गया था, जब मेरे भाई को होश आया तो उसने मुझे फोन किया मैं फोन सुनकर अपने भाईयो सुनील व कल्लू के साथ अपने भाई मुकेश के पास घटना स्थल पर पहुंचे, तो हमने देखा कि मेरा भाई खून से पूरी तरह लथपथ था। हम उसे लेकर सरकारी अस्पताल, शामली आ गये थे। मुकेश को हास्पिटल में पहुंचाकर हम थाने पहुंचे, थाने में

मैंने एक तहरीर बोल बोलकर थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवायी थी जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है, तहरीर हमने थाना थानाभवन में जाकर दी थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मै शिनाख्त करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के संबंध में मैने पुलिस को बयान दिये थे। घटना के बाद मुकेश काफी दिन तक स्वस्थ्य नहीं हो पाया था। वह कहीं एडमिट नही हुआ था उसका इलाज घर पर ही चल रहा था। तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना के संबंध में जो बाते लिखी गयी है वो मेरे बताये अनुसार ही तहरीर लेखक ने लिखी हैं। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न –3 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 डॉ० रामनिवास ने यह बयान दिया है कि मैं दिनांक 08-04-2018 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र शामली पर बतौर अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात था । मैने उस दिन मुकेश उम्र लगभग 35 साल पुत्र रामगोपाल निवासी गली नं० 2 दयानंद नगर शामली का मेडिकल परिक्षण रात्रि 10 बजकर 15 मिनट पर किया था। जिसको एच०जी० 1541 चन्दरपाल थाना कोतवाली शामली द्वारा लाया गया था। चुटैल के चैहरे पर दाई तरफ एक काला तिल था जो कि दाई आख से 1.5 cm नीचे था। चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गई थी- **1.** फटा हुआ जख्म जिसका आकार 2cm x 0.4 cm जो कि सिर के बाई तरफ था। ओर बाये कान से 11cm उपर था। जिसकी गहराई scalp तक थी। **2.** Multiple खरोच के साथ नीलगू के निशान जिसका क्षेत्रफल 24cm x 19cm जो कि पूरे सिर पर था और सबसे बड़े नीलगू का आकार 3cm x3cm था और सबसे छोटे नीलगू का आकार 1cm x1cm जो की संख्या में पांच थे। **3.** फटा हुआ जख्म जिसका आकार 0.8cm x 0.4cm जो कि मुख गोहा में बाई तरफ था। जो कि मांस तक गहरा था। **4.** खरोच का निशान जिसका आकार 1cm x 1 cm जो कि दाये कान के पीछे की तरफ था। **5.** चोट के साथ सूजन जिसका आकार 4cm x3cm जो कि चहरे के बाई तरफ तथा दाये कान से 2cm नीचे था। **6.** लाल नीलगू जिसका आकार 4cm x 4cm जोकि कमर पर नीचे तथा बाई तरफ था और बाये ढुंगे की हड्डी से 6 cm उपर था। **7.** खरोच का निशान जिसका आकार 0.5cm x0.5cm जोकि दाई भुजा के बाहरी तरफ था तथा दाये कंधे से 12cm नीचे था। मेरी राय में सारी चोटें ताजा थी तथा साधारण प्रकृति की थी । जोकि सख्त कुंदाले से आना संभव थी। यह मेडिकल मेरे हस्तलेख में है। इसपर मेरे हस्ताक्षर अंकित है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं, इस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है एवं झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है।

प्रश्न –4 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 रिटायर्ड एस०आई० श्रीमती सुनीता शर्मा ने यह बयान दिया है कि दिनांक 09.04.2018 को मै थाना थानाभवन पर बतौर हेड कांस्टेबल नियुक्त थी। उसी दिन समय 3.30 बजे दिन वादी बाबूराम पुत्र रामगोपाल निवासी दयानन्द नगर गली नम्बर 12 थाना कोतवाली शामली थाना हाजा पर आये एक किता तहरीर हस्तलिखित वादी द्वारा थाना हाजा पर दी गयी। जिसका खुलासा जीडी सं0 32 समय 15.52 बजे पर किया गया। जिस पर मु0 अ 0 सं0 119/2018 धारा 147, 148, 149, 323, 504 आई पी सी कायम किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 4 क/3 जीडी की सत्यापित फोटो प्रति को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही जीडी है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप करवायी थी जिसकी मै शिनाख्त करती हू जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया है। पत्रावली पर संलग्न एफ आई आर मेरे

द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोलकर टाइप करवायी गयी थी जिसकी मै शिनाख्त करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न –5 अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 रिटायर्ड सी०ओ० अरविन्द सिंह राठौर ने यह बयान दिया है कि मेरे द्वारा विवेचना दिनांक 15.07.2018 को ग्रहण की गयी थी। उससे पूर्व विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार थाना भवन द्वारा की जा रही थी। दिनांक 15.07.2018 को सीडी नम्बर 09 किता की गयी जिसमें मुकदमें के पूर्व के पर्चो का अवलोकन किया गया जो पूर्व विवेचक श्री सुनील कुमार द्वारा किता किये गये थे। जिसमें उनके द्वारा की गयी विवेचना में मुकेश कुमार पुत्र रामगोपाल गली नम्बर 12 का बयान अंकित किया गया था जिसमें गवाह ने घटना का समर्थन किया था। पूर्व विवेचक द्वारा सीडी 01 से 08 तक किता की गयी है। सीडी अवलोकन से प्रथम पर्च में नकल चिक नकल रपट बयान लेखक आफ आई आर बयान वादी आदि लेखबद्ध किये गये है तथा सीडी 2 में मजरूब मुकेश के बयान अंकित है जिसने घटना का समर्थन किया है और घटना स्थल का निरीक्षक मजरूब की निशानदेही पर किया गया है। जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही नक्शा नजरी है जो पूर्व विवेचक द्वारा बनाया था जो उनके हस्तलेख में है उनके हस्तलेख को मै पहचानता हू क्योंकि मैने उन्ह थाने पर लिखते पढते देखा है नक्शा नजरी पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। सीडी 3 में अभियुक्त नरोत्तम के बयान अंकित किये गये है। सीडी 4 में लोगो ने झगडा होने की बात को तसदीक किया गया है। सीडी 5 में भी झगडा होने की बात प्रकाश में आयी है। सीडी 6 मजरूब मुकेश की चोटो का डाक्टर द्वारा तैयार करने की रिपोर्ट की पुष्टि की गयी है। सीडी 7 अभियुक्तगण नरोत्तम व अभय को 41 ए का नोटिस देने के बाबत है। सीडी 8 मजरूब पक्ष द्वारा जाति प्रमाण पत्र थाने पर दाखिल करने के बाबत है। जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने के कारण उक्त मुकदमं की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से होने के कारण विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी। दिनांक 15.07.2018 को सीडी 9 मेरे द्वारा किता की गयी जिसमें पूर्व पर्यो का अवलोकन उपरोक्त किया गया। दिनांक 17.07.2018 को सीडी 10 किता की गयी जिसमें बयान पूर्व विवेचक बयान वादी बयान मजरूब आदि किये गये तथा रिपोर्ट आर्थिक सहायता दिये जाने के बाबत है। दिनांक 25.07.2018 को सीडी 11 किता की गयी जिसमें गवाहन तथा स्वतंत्र साक्षियो से बातचीत की गयी तथा अगले 27.07.2018 को सीडी 12 किता की गयी जिसमें विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 3 क/1 ता 3 क/3 को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित करवाने के उपरान्त माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था जिसकी मै शिनाख्त करता हू जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न–6 यह कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– प्रपत्र गलत बनाये गये हैं।

प्रश्न–7 आपके विरूद्व मुकदमा क्यों चला?

उत्तर– रंजिशन

प्रश्न–8 क्या आपको बचाव में कोई सफाई साक्ष्य देना है?

उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न–9 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर– मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठा फंसाया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० मेरे श्रवणगोचरता में अभियुक्त के बोलने पर आशुलिपिक द्वारा टंकित किया गया है।

दिनाँकः03.08.2026 **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली

नोटः– उक्त बयान मेरी उपस्थिति एवं श्रवणगोचरता में तैयार किया गया, जिसमें पूर्ण एंव सही वृतान्त अंकित है।

दिनाँकः03.08.2026

बयान सुनकर तस्दीक किया **(सुरेन्द्र कुमार राय)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,

एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली